# राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

**क्रमांक :– प. 2(1)साप्र/2/16 पार्ट** **जयपुर, दिनांक :** 2-6-2017

**–: आदेश :–**

सुश्री तेजस्विनी गौतम, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 30/2017 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2049 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या II/26 (प्रथम तल), गांधीनगर, जयपुर का आवंटन राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तो के अध्ययधीन एतदद्वारा किया जाता हैः–

**<u>शर्ते :–</u>**

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**(गौरव बजाड़)**
**शासन उप सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आई0डी0 क्रमांक 206 दिनांक 30.5.17 के क्रम में।
2. अति0 महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इनके वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 वि0, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर वि0वि0निगम लि0, वृत्त गांधीनगर, रामबाग सर्किल, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
12. सुश्री तेजस्विनी गौतम, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

**शासन उप सचिव**